वादीगण अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

> प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी। प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर वादीगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादी को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक : 07/03/2017, 13/10/17, 27/10/17, 13/11/17, 31/01/18 एवं आज दिनांक : 02/02/2018 को छः अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुति का अभाव, प्रभाणाभाव एवं उनकी अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का वाद आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद